



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

// अधिसूचना //

क्र. प्रशा/सभा/2017/787

दिनांक:

10 JUL 2017

एतद्द्वारा, सर्वसंबंधितों को अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की सूचना क्रमांक अका./पाठ्यक्रम/2017-1270 दिनांक 24/6/2017 के अनुसार डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग द्वारा डेन्टिस्ट एक्ट 1948 की धारा 3 (डी) के अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के दंत चिकित्सा संकाय के शिक्षकों में से डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया में एक प्रतिनिधि सदस्य की नियुक्ति की जानी है।

उक्त सूचना के अनुक्रम में विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) की विशेष बैठक दिनांक 24/7/2017 अपराह्न 12:00 बजे देवी अहिल्या दरबार हाल, आर.एन.टी.मार्ग में आहूत की गई है। सभा के समस्त माननीय सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

### कार्यसूची

01. डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग द्वारा डेन्टिस्ट एक्ट 1948 की धारा 3 (डी) के अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के दंत चिकित्सा संकाय के शिक्षकों में से डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया में एक प्रतिनिधि सदस्य की नियुक्ति बाबद।

JK कुलसचिव

पृ क्र. प्रशा/सभा/2017/787

दिनांक:

10 JUL 2017

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल-462052।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004।
4. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. सभा के समस्त माननीय सदस्यों की सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
7. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
7. मीडिया प्रभारी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
8. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेंटर की ओर इस निवेदन के साथ कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

JK कुलसचिव